UPSR040012662026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/610/2026

राज्य बनाम. शमीम

दिनांक–12.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–78/2026 अन्तर्गत धारा–305(A),317(2) बी०एन०एस० थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती में अभियुक्तगण **महेश उर्फ अर्जुन व समीम उर्फ सम्भा** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि वे खरगौरा सब्जी मण्डी से सब्जी लेकर आ रहे थे तभी सामने से आ रही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तथा मारा पीटा और सम्बन्धित थान ले जाकर उन्हें झूठे मुकदमें में फंसा दिया। उनके विरुद्ध पहले से किसी भी जनपद में मुकदमा दर्ज नहीं है। वे निर्दोष हैं। अतः उन्हें उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक या उससे कम दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः अपराध की प्रकृति, जेल में निरुद्ध रहने की अवधि तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रत्येक अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार श्रावस्ती/बहराइच को प्रेषित की जाये।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।